

क्रमांक :

दिनांक :

बैठक कार्यवाही विवरण

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी की कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक दिनांक 14.09.2020 को साय: 03.00 बजे श्री नीलाभ सक्सेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडा भिवाड़ी की अध्यक्षता में सभागार, बीडा भिवाड़ी में सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया तथा इस बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं.	पद नाम	समिति पदाधिकारी	उपस्थित अधिकारी का नाम एवं पद
1	जिला कलक्टर, अलवर	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री खेमाराम यादव, उपखंड अधिकारी, तिजारा
2	आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री अंकित श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, नगर परिषद, भिवाड़ी
3	वरिष्ठ नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती इशिता जे. कुमार, उप नगर नियोजक, बीडा भिवाड़ी
4	अधिशाषी अभियंता, बीडा भिवाड़ी	सदस्य	श्री विनीत कुमार नगायच, अधिशाषी अभियंता, बीडा भिवाड़ी
5	वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको युनिट प्रथम	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री टी.सी.भट्ट, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको युनिट प्रथम, भिवाड़ी
6	क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवाड़ी	सदस्य	प्रतिनिधि के रूप में श्री अनिल बैरवा, जे.एस.ओ., राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवाड़ी
7	उप सचिव, बीडा भिवाड़ी	सदस्य सचिव	श्रीमती सुनिता यादव, उप सचिव, बीडा भिवाड़ी

सर्व प्रथम बैठक में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं बैठक में पधारे समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण में नवगठित कार्यकारिणी समिति के गठन का उद्देश्य, कार्यक्षेत्र के संबंध में अवगत कराते हुए, समिति के समक्ष रखे गये बिन्दुओं का निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया –

01. भिवाड़ी शहर में थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक करने हेतु –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र के ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 665 कुल रकबा 10.75 है0 में से आंशिक भूमि पर स्थानीय निवासियों की मांग के मद्देनजर थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। वर्तमान में भिवाड़ी शहर में स्थाई रूप से थोक फल सब्जी मण्डी रथापित नहीं है व अरथाई रूप से मण्डी शहर के मध्य से गुजरने वाले एन.एच. 919 पर स्थित है, जो कि भिवाड़ी के व्यस्ततम् स्थल सैंट्रल मार्केट एवं राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी के पास है। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समीप होने से प्रातः 04.00 बजे से 09.00 बजे तक आपातकालीन परिस्थितियों के बावजूद भी यातायात जाम के कारण एंबूलैन्स आदि अत्यावश्यक वाहनों का आवागमन लगभग असंभव रहने

से जानमाल की हानि होने की प्रबल संभावनायें बनी रहती है। अस्थाई मंडी के शहर के मध्य में होने से ट्रैफिक जाम के साथ-2 राजकीय चिकित्सालय के समीप गंदगी एवं आवारा पशुओं की समस्या रहती है। वर्तमान में संचालित थोक मंडी में दुकानों के मध्य आवश्यक दूरी न होने एवं संपूर्ण क्षेत्र अति-भीड़भाड़ वाला होने के कारण राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी दिशानिर्देशों की पालना करवाये जाना भी असंभव रहता है।

स्थानीय स्तर पर समस्या के स्थाई निराकरण एवं जनहित के क्रम में अस्थाई रूप से संचालित थोक फल सब्जी मंडी को वर्तमान स्थल (राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर) से स्थानांतरित कर सुनियोजित थोक फल सब्जी मंडी की स्थापना शहर की घनी आबादी से दूर एवं शहर की पहुंच में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त परिस्थितियों एवं थोक/खुदरा फल सब्जी व्यापारियों की समय-2 पर विभिन्न स्तर पर की गई मांग को दृष्टिगत रखते हुए थोक फल सब्जी मंडी की स्थापना ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा में बीड़ा स्वामित्व की भूमि पर प्रस्तावित की गई है, जिसपर वर्तमान थोक व्यापारियों की स्थल चयन संबंधी सहमति भी ली जा चुकी है। प्रस्तावित स्थल शहर के अति-भीड़भाड़/घनी आबादी से दूर होने के साथ ही थोक/खुदरा फल सब्जी व्यापारियों के सुगम पहुंच में होने के कारण थोक फल सब्जी मंडी हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

भिवाड़ी-टपूकड़ा-खुशखेड़ा मास्टर प्लान 2041 के अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मध्यम घनत्व आवासीय प्रस्तावित है। थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग व्यवसायिक होना चाहित है। भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों में स्थानीय स्तर पर रोक होने के कारण नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी में प्रस्तावित व जनहित की योजना थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार के नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अनुसरण में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में प्रेषित किये जाने से पूर्व प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति में अनुमोदित/निर्णीत किया जाना आवश्यक है। खसरा नं0 665 में से सब्जी मण्डी हेतु प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि का ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

अतः राज्य सरकार के नगरीय क्षेत्र भू-उपयोग परिवर्तन नियम 2010 के अनुसरण में प्रस्तावित थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने से पूर्व सहमति/स्वीकृति बाबत समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं ग्राम मिलकपुर गुर्जर तह0 तिजारा के खसरा नं0 665 कुल रकबा 10.75 है0 में से आंशिक भूमि पर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित थोक फल सब्जी मण्डी की स्थापना हेतु भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन व्यापक जनहित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यम घनत्व आवासीय से व्यवसायिक किये जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

02. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी क्षेत्राधिकार में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-3सी के अन्तर्गत नवीन योजनाओं के सृजन के संबंध में –

प्राधिकरण की आय बढ़ाने हेतु स्वयं की भूमि पर नवीन आवासीय योजनायें चरणबद्ध रूप से सृजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में प्राधिकरण के नाम दर्ज निम्नानुसार योजनायें सृजित की जानी प्रस्तावित है।

- ग्राम बिचपुरी तह0 नीमराना की भूमि खसरा नं0 1053/1144, 1053, 1052, 1049/1146, 1052/1145, 1049, 1048/1147, 1045/1148, 1044/1149, 1043/1150, 1042/1151 कुल किता 11 रकबा लगभग 3.15 है0
 - मौका स्थिति अनुसार उक्त भूमि के दक्षिण में 5.50 मी0 में डामर सड़क निर्मित है। मास्टर प्लान में उक्त सड़क 30 मी0 की सब मेजर रोड है। उपरोक्त भूमियों में कोई एच.टी.लाईन गैस, ऑयल लाईन नहीं गुजर रही है। उपरोक्त भूमि के 200 मी0 के दायरे में पुरातत्व विभाग की कोई संरचना नहीं है।
 - सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 29607.69 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। भूमि की किस्म बारानी-2 है जो प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है।
 - आवेदित भूमि का मास्टर प्लान में भू-उपयोग औद्योगिक है तथा मास्टर प्लान की प्रस्तावित 30 मी0 सड़क से लगते हुये है।
 - भूमि वर्तमान में न्यास भिवाड़ी हाल बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड है।
- ग्राम नीमराना तह0 नीमराना की भूमि खसरा नं0 256/582, 255, 254, 253, 226, 227 एवं 246 कुल किता 07 कुल रकबा 7.90 है0
 - मौका स्थिति अनुसार खसरा नं0 256/582, 255, 226 के पश्चिम में 7 मी0 डामर सड़क (नीमराना - धीलोट औद्योगिक क्षेत्र सड़क) निर्मित है खसरा नं0 246 के दक्षिण एवं पूर्व में बरसाती नाला है। खसरा नं0 226, 227 के उत्तर में बरसाती नाला है। उपरोक्त भूमि के लगभग 200 मी0 में (दक्षिण में) पुरातत्व विभाग की बावड़ी है। भूमि के उत्तर दिशा में बीड़ा से अनुमोदित निजी विकासकर्ताओं की दो आवासीय योजनाये (मै0 जेनेस्ट इन्फ्राटेक प्रा0 लि0 एवं मै0 रेवरेन्स इन्फ्रा0 स्ट्रक्चर (इण्डिया) एल.एल.पी) हैं। खसरा नं0 256/582 में से 0.15 है0 में मोहलडिया विस्थापितों को निःशुल्क 20 पट्टे (ई.डब्ल्यू.एस.) बीड़ा द्वारा जारी किये गये हैं जो खसरे के दक्षिण-पूर्व में हैं। खसरा नं0 246 के पूर्व में नाला के बाद पहाड़ लगता है।
 - सुपरईम्पोजिसन एवं मौके अनुसार भूमि का रकबा 51501.02 वर्ग मी0 प्राप्त होता है। भूमि की किस्म बंजड है।
 - प्रकरण में भूमि का एस.एन.बी मास्टर प्लान 2041 में भू-उपयोग कृषि है।
 - मौका स्थिति अनुसार प्रश्नगत भूमि से 200 मी0 परिधि क्षेत्र में पुरातत्व विभाग की बावड़ी स्थित है। अतः बावड़ी के क्षेत्रफल एवं सुरक्षित दूरी के संबंध में पुरातत्व विभाग से अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है।
 - राजस्व रिपोर्ट के अनुसार भूमि के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व में लगते हुये नाले स्थित हैं। अतः सिचाई विभाग से नाले के चौडाई एवं सुरक्षित दूरी बाबत अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है।
 - भूमि वर्तमान में न्यास भिवाड़ी हाल बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड है।
- ग्राम नीमराना तह0 नीमराना की भूमि खसरा नं0 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208 कुल किता 09 कुल रकबा 3.11 है0
 - मौका स्थिति अनुसार उक्त खसरे पुरातत्व विभाग की संरचना (बावड़ी) से लगभग 500 मी0 दूर है उक्त खसरों के पूर्व में पहाड़ है जो लगभग 400 मी0 दूर है। खसरा नं0 201,

202 के उत्तर में राजस्व में नाला है। खसरो के दक्षिण में निजी विकासकर्ता की आवासीय योजना (शुभगृह) है। नीमराणा-धिलोठ ग्रामीण सड़क की श्रेणी में दर्ज है। जिसका आर.ओ.डब्ल्यू 18 मी० है (गै०मु०रास्ता खसरा नं० 205)। वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित डामर सड़क की चौडाई 7 मी० है जो कि कुछ खसरो से गुजरती है। उपरोक्त खसरो से कोई एच.टी. लाईन, गैस/ऑयल लाईन नहीं गुजर रही है।

- प्रकरण में भूमि का एस.एन.बी मास्टर प्लान 2041 में भू-उपयोग कृषि है।
- राजस्व रिपोर्ट के अनुसार भूमि के उत्तर में लगते हुये नाले स्थित है। अतः सिचाई विभाग से नाले के चौडाई एवं सुरक्षित दूरी बाबत अनापत्ति लिया जाना अपेक्षित है।
- भूमि वर्तमान में न्यास भिवाड़ी हाल बीड़ा भिवाड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

राजकीय भूमि हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रावधान 4ए, 4बी, 4सी है। परन्तु वर्तमान में बीड़ा की वित्तीय स्थिति आवासों का निर्माण करने की नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त परियोजनायें मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3सी अन्तर्गत सृजित की जानी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3सी अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं की भूमि पर परियोजना स्वीकृत किये जाने एवं स्वीकृति राज्य सरकार से लिये जाने का प्रावधान है। अतः प्रावधान 3(सी) में प्राधिकरण की योजना स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाने से पूर्व प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति में सहमति प्राप्त करने के संबंध में निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3(सी) में प्राधिकरण की योजना स्वीकृत किये जाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति ली जाने हेतु प्रकरण राज्य सरकार स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

03. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की आय बढ़ाने हेतु नई योजनाओं का सृजन किये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीड़ा), भिवाड़ी को मुख्यतः आय नगरीय कर, स्वयं की सृजित योजनाओं के भूखण्ड बेचान से, निजी निवेशकताओं की परियोजनाओं से प्राप्त रूपांतरण शुल्क एवं अन्य करों से प्राप्त होती है। जिसमें प्राधिकरण की स्वयं की योजनाओं के सृजन से ही अधिकतम आय संभव है। प्राप्त आय से प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। बीड़ा द्वारा वर्तमान में पिछले काफी वर्षों से स्वयं की योजनायें सृजित नहीं की गई हैं, साथ ही वर्तमान में निजी निवेशकताओं की परियोजनाओं से प्राप्त भू-रूपांतरण शुल्क एवं अन्य करों से प्राप्त होने वाली आय में भी तुलनात्मक रूप से कमी आई है। अतः वर्तमान परिपेक्ष्य में प्राधिकरण की आय बढ़ाने हेतु स्वयं की नवीन आवासीय/व्यावसायिक/अन्य योजनायें सृजित किया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण में प्राधिकरण की स्वयं की भूमि पर योजनायें सृजित की जानी प्रस्तावित है। परंतु महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां योजना की मांग अधिक है व प्राधिकरण की स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नवीन योजना का सृजन भूमि अवाप्ति प्रक्रिया अपनाते हुए भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाकर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी Land Pooling Act 2016 के तहत की जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार नवीन योजना का सृजन भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के अनुसार भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाकर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी Land Pooling Act 2016 के तहत किये जाने के प्रस्ताव पर निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।



निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में नवीन योजनाओं का सृजन भूमि अवाप्ति प्रक्रिया के अनुसार भूमि के बदले विकसित भूमि दी जाकर एवं राज्य सरकार द्वारा जारी Land Pooling Act 2016 के तहत किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही क्षेत्र में वेयरहाउस की मांग को दृष्टिगत रखते हुए वेयरहाउस योजना के सृजन की संभावनाये तलाशने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

04. भिवाड़ी शहर में प्रस्तावित स्टेडियम का निर्माण किये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा सृजित सैकटर-3ए में खेल स्टेडियम हेतु लगभग 10.00 है० भूमि आरक्षित की गई है। वर्तमान में स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि के आंशिक भाग में स्थाई/अस्थाई अतिक्रमण है। भिवाड़ी क्षेत्र में वृहद स्तर पर औद्योगिक इकाईयां स्थापित हैं, जिनमें कार्यरत् श्रमिकों, उनके परिजनों एवं नगर परिषद क्षेत्र भिवाड़ी में निवासरत् नागरिकों, युवाओं हेतु वर्तमान में खेल एवं समानांतर अन्य गतिविधियों हेतु सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जिससे क्षेत्र में वर्तमान में खेल संबंधी गतिविधियां नगण्य प्राय हैं।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, द्वारा बजट सत्र 2020 में भिवाड़ी में स्टेडियम बनाने की घोषणा करते हुए 25 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अतः राज्य सरकार की मंशा अनुरूप क्षेत्र में खेल संबंधी गतिविधियां बढ़ाने हेतु खेल स्टेडियम तैयार किया जाना है, जिसके लिए प्रथम चरण में भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, नगर परिषद भिवाड़ी एवं रीको की सहभागिता से प्रस्तावित स्थल से अतिक्रमण हटवाकर, चारदीवारी, रनिंग ट्रैक का निर्माण व अन्य बुनियादि सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में स्टेडियम के प्रथम चरण के विकास पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 25 लाख रुपये के अतिरिक्त, लगभग 1.5 करोड़ की लागत से निर्माण करवाये जाने हैं। जिसपर भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी, नगर परिषद, भिवाड़ी एवं रीको प्रत्येक संस्था द्वारा 50 लाख की सहभागिता राशि (कुल 1.5 करोड़) स्टेडियम निर्माण के प्रथम चरण हेतु दी जानी प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा सृजित सैकटर-3ए में खेल स्टेडियम हेतु आरक्षित भूमि को प्रस्तावानुसार भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, नगर परिषद भिवाड़ी एवं रीको की सहभागिता से विकसित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

05. भिवाड़ी शहर में सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना किये जाने के संबंध में –

राजस्थान और दिल्ली के निकटता और अन्य स्थानीय लाभों के कारण भिवाड़ी को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के राजस्थान सरकार के निर्णय के साथ, भिवाड़ी एक औद्योगिक बस्ती के रूप में विकसित हुआ और देश के औद्योगिक मानचित्र पर खुद को स्थापित किया। वर्तमान में भिवाड़ी शहर की आबादी मय औद्योगिक श्रमिक (स्थाई आबादी एवं अस्थाई आबादी) लगभग 4 लाख से अधिक है। भिवाड़ी को राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं, विकास एवं 'राजस्थान में औद्योगिकरण का प्रवेश द्वार' बनाने के परिकल्पित लक्ष्य को साकार करने के लिए व भिवाड़ी शहर को समान रूप से जीवंत बनाने के लिए अनिवार्य है, कि भिवाड़ी शहर विविध प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, स्त्रोतों, सेवाओं आदि के संग्रहण हेतु सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय से सुसज्जित हो।

भिवाड़ी में कार्यरत् श्रमिकों, उनके परिजनों एवं नगर परिषद् क्षेत्र भिवाड़ी में निवासरत् नागरिकों, युवाओं एवं वरिष्ठजनों हेतु वर्तमान में सार्वजनिक पुस्कालय एवं वाचनालय की सुविधायें उपलब्ध नहीं है। जिससे क्षेत्र में अध्ययन, सूचनाओं संबंधी गतिविधियों का अभाव होने से युवा वर्ग में रोजगार की अपेक्षाकृत कमी देखी जा रही है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भिवाड़ी स्थित महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय में क्रमोन्नत् किया गया है, जिससे क्षेत्र में आस-पास के ग्रामीण इलाकों से युवाओं का अध्ययन हेतु भिवाड़ी आना संभावित रहेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में भिवाड़ी में पुस्तकालय एवं वाचनालय की मांग बढ़ने के साथ ही अध्ययन संबंधी गतिविधियां अपेक्षाकृत बढ़ना तय है।

अतः राज्य सरकार की मंशा अनुरूप क्षेत्र में अध्ययन संबंधी गतिविधियां बढ़ाने हेतु सार्वजनिक पुस्कालय एवं वाचनालय की सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाई जानी है।

उपरोक्तानुसार सार्वजनिक पुस्कालय एवं वाचनालय की सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में संभावनायें तलाशने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी में सार्वजनिक पुस्कालय एवं वाचनालय की सुविधायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्र के गैर सरकारी संगठनों व उद्योगों द्वारा CSR दायित्वों के तहत करवाई जाने की संभावनायें तलाशे जाने के उपरांत शीघ्र स्थापित कराये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

06. भिवाड़ी शहर में बाबा मोहनराम काली खोली पर बायोडायर्वर्सिटी पार्क (Amusement Park) की स्थापना किये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी शहर में बाबा मोहनराम काली खोली के पास प्राधिकरण की भूमि ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नम्बर 850, 851 एवं 854 में बायोडायर्वर्सिटी पार्क विकसित किया जाना है। उक्त दो खसरा संख्या 850 व 851, किस्म गैर मु० बेहड भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी एवं खसरा संख्या 854, किस्म गैर मु० पहाड वन विभाग के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 850 के आंशिक भाग 851 व 854 के आंशिक भाग कुल क्षेत्रफल 21.88 है। ग्राम मिलकपुर की भूमि पर बायो बायोडायर्वर्सिटी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में वन विभाग द्वारा बायोडायर्वर्सिटी पार्क में वन विभाग की भूमि को सम्मिलित करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार बाबा मोहनराम काली खोली के पास ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नम्बर 850, 851 एवं 854 में बायोडायर्वर्सिटी पार्क विकसित कराये जाने की संभावनायें तलाशने बाबत प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विचार विमर्श किया गया। भिवाड़ी में बाबा मोहनराम काली खोली के पास ग्राम मिलकपुर गुर्जर के खसरा नम्बर 850, 851 एवं 854 में बायोडायर्वर्सिटी पार्क विकसित कराये जाने के संबंध में संभावनायें तलाशे जाने के साथ ही बीड़ा भिवाड़ी द्वारा कार्य की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनवाई जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

07. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण (बीडा), भिवाड़ी में नवीन पद सूजन की स्वीकृति बाबत –

राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन को बीडा से संबंधित ऑनलाईन सेवायें उपलब्ध कराने एवं भिवाड़ी स्थित मुख्य कार्यालय एवं नीमराणा स्थित केंप कार्यालय के सुचारू संपादन हेतु निम्नानुसार नवीन पदों का सूजन कार्यालय की वर्तमान आवश्यकतानुसार प्राथमिकता से किया जाना प्रस्तावित है –

क्र. सं.	प्रस्तावित पद का नाम	वेतन श्रृंखला	प्रस्तावित नवीन पदों की संख्या	वर्तमान में स्वीकृत पदों की संख्या	भर्ती का माध्यम
1	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (RAS)	L-16 15600-39100 G.P 6600/-	02	–	प्रतिनियुक्ति
2	तहसीलदार (RTS)	L-12 9300-34800 G.P 4800/-	01	01	प्रतिनियुक्ति
3	प्रशासनिक अधिकारी (मंत्रालयिक संवर्ग)	L-11 9300-34800 G.P 4200/-	01	–	पदोन्नति
4	भू अभिलेख निरीक्षक	L-10 9300-34800 G.P 3600/-	01	01	प्रतिनियुक्ति
5	सहायक प्रोग्रामर	L-10 9300-34800 G.P 3600/-	01	–	प्रतिनियुक्ति
6	सहायक प्रशासनिक अधिकारी (मंत्रालयिक संवर्ग)	L-10 9300-34800 G.P 3600/-	02	–	पदोन्नति
7	वरिष्ठ सहायक (मंत्रालयिक संवर्ग)	L-8 5200-20200 G.P 2800/-	02	02	पदोन्नति
8	कनिष्ठ सहायक (मंत्रालयिक संवर्ग)	L-5 5200-20200 G.P 2400/-	04	04	सीधी भर्ती

- क्रम संख्या 01 पर प्रस्तावित अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (RAS) के नवीन पदों पर सूजन किये जाने की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति आई0डी0 क्रमांक 101902076 दिनांक 30.05.2019 एवं राज्य सरकार, उद्योग (गुप-1) विभाग के आदेश क्रमांक प.28(8)उद्योग-1 / 2019 दिनांक 26.06.2019 (अनुसूची 'ब') के क्रम संख्या 2(1) पर स्वीकृत "उपसचिव" का पद समाप्त किया जाना प्रस्तावित है।
- उपरोक्त सभी प्रस्तावित नवीन पदों के वेतन भत्तों आदि का भुगतान राज्य सरकार के स्तर से वहन नहीं किया जाकर, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी की निजी आय से ही किया जायेगा।

बीडा भिवाड़ी के कार्यालय की आवश्यकतानुसार प्रस्तावित नवीन पदों के राज्य सरकार स्तर से सूजन कराने से पूर्व कार्यकारिणी समिति में सहमति प्राप्त करने के संबंध में प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं प्रस्तावित नये पद सूजन करने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

08. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में E-Services स्थापित करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु IT Consultant की सेवायें लिये जाने के संबंध में –

राज्य सरकार के निर्देशानुसार “नाम हस्तांतरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र व बकाया लीज का भुगतान, भू-रूपांतरण संबंधित कार्य, सामुदायिक भवन की बुकिंग, प्रोपर्टी आईडी० जनरेशन, ई-टैण्डरिंग हेतु पेमेंट गेटवे (धरोहर राशि/EMD), ई-ऑक्शन, कैशलैस सिस्टम/ऑफलाईन सेवाओं के लिए पेमेंट गेटवे सेवा” को ऑनलाईन किया जाना है, जिससे आमजन को अधिकाधिक लाभ, पारदर्शिता एवं सुगमता प्रदान की जा सके।

वर्तमान में बीड़ा भिवाड़ी द्वारा सभी सेवा कार्य ऑफलाईन माध्यम से ही निस्तारित किये जा रहे हैं। प्राधिकरण में उक्त E-Services स्थापित कर उनके सुचारू संचालन हेतु प्रशिक्षित कर्मियों के पद स्वीकृत/पदस्थापित न होने के कारण उक्त कार्यों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले IT Experts द्वारा निविदा या एन.आई.सी./डी.ओ.आई.टी. के सूचीबद्ध विशेषज्ञ के माध्यम से करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में E-Services स्थापित करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु IT Consultant की सेवायें निविदा या एन.आई.सी./डी.ओ.आई.टी. के सूचीबद्ध विशेषज्ञ के माध्यम से लिये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं IT Consultant की सेवायें निविदा या एन.आई.सी./डी.ओ.आई.टी. के सूचीबद्ध विशेषज्ञ के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

09. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में नगर नियोजन शाखा से संबंधित तकनीकी कार्य करने एवं उनके सुचारू संचालन हेतु Consultant की सेवायें लिये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु अरबन प्लानर/वास्तुविद, बीड़ा से संबंधित रिजनल प्लान, मास्टर प्लान, जोनल/सैक्टर प्लान, बेस मैप इत्यादि अन्य मानचित्र/प्लान तैयार करने, राजस्व मानचित्रों का तकनीकी मानचित्रों पर सुपर इंपेजिशन, नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं लेआउट प्लान तैयार करना, क्षेत्रफल विश्लेषण की गणना, स्थल मानचित्र तैयार करना व तकनीकी कार्यों में ऑटोकैड संबंधित कार्य किये जाने हेतु कैड ऑपरेटर की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं कैड ऑपरेटर की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं नगर नियोजन संबंधी तकनीकी कार्य हेतु अरबन प्लानर/वास्तुविद, जी.आई.एस. विशेषज्ञ एवं कैड ऑपरेटर की सेवायें आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं द्वारा निविदा के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

10. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में राजस्व प्रबंधन से संबंधित क्षेत्र में सलाहकार की सेवायें लिये जाने के संबंध में –

भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में राजस्व प्रबंधन संबंधी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं को निविदा/EOI के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित है।

सलाहकार द्वारा परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों द्वारा मूल्य वर्धित, निरंतर सेवाओं और निवेश के अवसरों का प्रावधान किया जा सकता है। सलाहकार का प्रमुख कार्यक्षेत्र निम्नानुसार रहेगा –

- नीति सलाहकार।
- राजस्व प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना तैयार करना।
- पायलट परियोजनाओं का चिन्हीकरण एवं खाका तैयार करना।
- परियोजना सलाहकार और कार्यान्वयन।
- कुशलता से परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और निष्पादन के लिए क्षमता निर्माण में मदद करना।
- चुनौतियों और समाधानों की पहचान करने के लिए समय-2 पर कार्यशाला का आयोजन।

अतः भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी में राजस्व प्रबंधन संबंधी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं को निविदा/EOI के माध्यम से लिये जाने के निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं राजस्व प्रबंधन संबंधी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सेवाप्रदाताओं को निविदा/EOI के माध्यम से लिये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

11. भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी द्वारा “महेश चंद तिवारी” के खिलाफ प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज करवाये जाने के संबंध में –

तत्कालीन नगर विकास न्यास, भिवाड़ी की 52वीं बैठक दिनांक 29.07.2016 में लिये गये निर्णयानुसार सैकटर-5 में स्थित न्यास गैर्स्ट हाउस को किराये पर देने की स्वीकृति एवं 53वीं बैठक दिनांक 30.09.2016 में उक्त गैर्स्ट हाउस को संचालित करने की शर्त स्वीकृत की गई थी। गैर्स्ट हाउस लीज पर देने बाबत जारी की गई, E.O.I. में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्री महेश चंद तिवारी (निवासी 3/36, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवाड़ी) को मासिक किराया राशि 75,500/- + टैक्स प्रतिमाह की दर से 02 वर्ष के लिए अनुबंधानुसार लीज पर दिया गया। अनुबंधकर्ता ने शुरू में कुछ किराया जमा कराया और बाद में किराया मांगने पर संस्था को टालमटोल करता रहा। बीड़ा द्वारा इससे संबंधित कई स्मरण पत्र श्री तिवारी को लिखे गये, परन्तु बीड़ा को अनुबंधकर्ता द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ और साथ ही श्री तिवारी द्वारा बीड़ा के पूर्व अधिकारियों को किराया नहीं देने की ओर गेर्स्ट हाउस पर कब्जा करने की धमकी भी दी गई। बीड़ा द्वारा बार-2 बाध्य किये जाने पर श्री तिवारी द्वारा एक चैक बीड़ा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जो कि बैंक में अनादरित हो गया और बीड़ा भिवाड़ी को कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। जब महेश तिवारी को चैक अनादरण बाबत जानकारी दी गई, तब श्री तिवारी द्वारा अवगत कराया गया, कि उन्होंने अपने खाते में पर्याप्त धन ना होने के बावजूद चैक बीड़ा में केवल कुछ समय तक भुगतान संबंधी दायित्वों से छुटकारा पाने के आशय से ही दिया था। श्री

तिवारी द्वारा किया गया यह कृत्य Negotiable Instrument Act, 1881 की धारा 138 का साफ उल्लंघन है। साथ ही श्री तिवारी ने Indian Contract Act 1972 के तहत बीड़ा के साथ Signed Contract का उल्लंघन कर धोखाधड़ी की है जो कि Breach of Trust या Breach of Contract भी है। महेश तिवारी एक आदतन राजकीय अनुबंधों का उल्लंघनकर्ता है। इससे पूर्व श्री तिवारी पर रीको, भिवाड़ी के भी करीब 10 लाख रुपये वर्तमान में बकाया है, बीड़ा, भिवाड़ी के भी करीब 25 लाख रुपये एवं 6 से 7 लाख रुपये की राशि बिजली के बिलों के विरुद्ध श्री तिवारी ने बकाया रखी हुई है।

अतः उक्त कार्यों का दोषी मानते हुये श्री महेश चंद तिवारी (निवासी 3/36, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवाड़ी) के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने की निर्णय/स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष सादर विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं श्री महेश चंद तिवारी (निवासी 3/36, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिवाड़ी) द्वारा Negotiable Instrument Act, 1881 की धारा 138 एवं Breach of Trust या Breach of Contract का उल्लंघन करने पर श्री तिवारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।

उप सचिव

भि.इं.वि.प्रा. भिवाड़ी

दिनांक : 17/09/2020

क्रमांक : PAI बीड़ा | 934-941 | 2020

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया, अलवर।
2. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीड़ा भिवाड़ी।
3. उपखण्ड अधिकारी, तिजारा।
4. आयुक्त, नगर परिषद, भिवाड़ी।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीड़ा भिवाड़ी।
6. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको प्रथम, भिवाड़ी।
7. अधिशाषी अभियंता, बीड़ा भिवाड़ी।
8. क्षेत्रीय प्राधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भिवाड़ी।
9. कार्यालय प्रति।

उप सचिव

भि.इं.वि.प्रा. भिवाड़ी